न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी : पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

मुकदमा सं0: 29 / 2020 प्रार्थना पत्र स्थानांतरण

1. सुशीलादेवी पत्नि स्व0 श्री कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी भाण्डारेज तहसील दौसा जिला दौसा राजस्थान।

... प्रार्थिनी

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. प्रभुदयाल पुत्र रामपाल
2. जगदीश पुत्र रामपाल
3. छाजु पुत्र बुद्धाराम
4. लल्लू पुत्र बुद्धाराम
5. बरदू पुत्र बुद्धाराम
   समस्त जाति माली निवासी भाण्डारेज तहसील दौसा जिला दौसा राजस्थान।
6. श्री पुष्कर मित्तल आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

स्थानांतरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत बाबत मुकदमा अपील नामान्तकरण उनवानी प्रकरण कन्हैयालाल बनाम प्रभुदयाल मु0नं0 14 / 2011

उपस्थिति : 1. श्री मनोहर लाल मुद्गल, अधिवक्ता प्रार्थिनी
2. श्री राजकुमार तिवाडी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं01लगा 05
3.श्री नवल किशोर शर्मा , पैरोकार सरकार

—:: निर्णय ::—

दिनांक: 29.12.2020

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थिनी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा में विचाराधीन वाद उनवानी कन्हैयालाल बनाम प्रभुदयाल मुकदमा नं0 14 / 2011 को किसी भी दीगर उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानांतरित करने हेतु प्रार्थना पत्र स्थानांतरण पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा से तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थिनी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थिनी द्वारा एक प्रार्थना पत्र स्थानांतरण विरूद्ध पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा में पेश किया गया था। प्रार्थिनी के पति स्व0 श्री कन्हैयालाल ने अप्रार्थीगण प्रभुदयाल वगै0 के विरूद्ध ग्राम पंचायत भाण्डारेज द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तकरण संख्या 529 दिनांक 18.03.2000 के संबंध में अपील प्रस्तुत की। अपील प्रस्तुति के पश्चात प्रार्थिनी के पति अपीलांट कन्हैयालाल का निधन हो गया। उसके पश्चात उनके स्थान पर प्रार्थिनी व उसके पुत्र-पुत्रियां बतौर कायम मुकाम अपील मे प्रतिस्थापित हो गये। प्रार्थिनी के अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तारीख पेशी पर हाजिर होने पर अधीनस्थ न्यायालय के रीडर द्वारा प्रार्थिनी के अधिवक्ता को कहा गया कि साहब ने इस पत्रावली में आगामी तारीख पेशी देने मे मना करते हुए फैसला आज ही करने को कहा गया। इस पर प्रार्थिनी के अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर बहस सुनने के पश्चात ही प्रकरण में कोई फैसला किया जाने का निवेदन किया। जिसके बाद आगामी तारीख 21.08.2020 पत्रावली का फैसला हेतु फरमाई गई। उक्त प्रकरण मे प्रार्थिनी की कोई सुनवाई नही की जा रही है। अप्रार्थीगण से अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की मिल्लत हो जाने एवं बिना बहस सुने ही प्रकरण का निर्णय करने हेतु आमादा हो जाना से स्पष्ट हो गया है कि प्रार्थिनी के विरूद्ध प्रकरण का फैसला करने से प्रार्थिनी को उपखण्ड अधिकारी दौसा से न्याय की कतई उम्मीद नही है। उक्त परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा मे विचाराधीन प्रकरण वाद उनवानी कन्हैयालाल बनाम प्रभुदयाल मुकदमा नं0 14/2011 को किसी दीगर उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1लगायत 05 द्वारा बहस मे निवेदन किया गया है कि प्रार्थिनी सुशीला देवी ओर से पेश प्रार्थना पत्र मे लगाये गये आरोप के तथ्य सरासर झूठे एवं बनावटी है जो सत्य से परे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस दिनांक 05.03.2020 को उभयपक्षों की उपस्थिति में सुनी गई। कोविड-19 के कारण न्यायालय मे सुनवाई नहीं होने से पुर्नबहस दिनांक 13.08.2020 को उभयपक्ष के वकीलों को हिदायत दी गई। प्रार्थिनी की ओर से पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों के समर्थन मे कोई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। उपरोक्त प्रार्थिनी का उद्देश्य उक्त वाद को ज्यादा से ज्यादा लम्बे करते रहने का है। उक्त प्रकरण की सुनवाई उपखण्ड अधिकारी दौसा के समक्ष ही करवाया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
दौसा
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मु0सं0: 29/2020 प्रार्थना पत्र स्थानांतरण

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी दौसा से प्राप्त टिप्पणी के अनुसार प्रकरण को स्थानान्तरण करने मे कोई आपत्ति नही होना व्यक्त किया है। अधिवक्ता प्रार्थिनी द्वारा प्रकरण को स्थानान्तरित करने के संबंध मे कोई औचित्य पूर्ण तथ्य प्रस्तुत नही किये गये है। प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यों एवं प्रकरण के निस्तारण मे अनावश्यक रूप से विलंब होने की स्थिति को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा मे विचाराधीन प्रकरण उनवानी कन्हैयालाल बनाम प्रभुदयाल मुकदमा नं0 14/2011 को दीगर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा को निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official